20

निगरानी रिवीजन R-2766-II/2014

आवेदकगण/रिवीजनकर्ता :-

1. अजय कान्त तोदी आयु लगभग 43 वर्ष,
2. पुरूषोत्तम कान्त तोदी आयु लगभग 42 वर्ष,
3. शिवकान्त तोदी आयु लगभग 46 वर्ष,
सभी के पिता श्री गजानन्द तोदी निवासी- व थाना-बुढ़ार वार्ड नंबर 11 जिला-शहडोल (म. प्र.)

वि रू द्ध

उत्तरार्थी /अनावेदक :- मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिला-शहडोल (म.प्र.)

निगरानी प्रकरण अंतर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 :

रिवीजनकर्ता /आवेदकगण निम्नलिखित निवेदन करते हैं :-

1. यह कि, रिवीजनकर्ता कमिश्नर महोदय, शहडोल सम्भाग शहडोल मध्य प्रदेश के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी, जिसका प्रकरण क्रमांक-822/अपील/2008-09 में पक्षकार अजय कान्त तोदी एवं अन्य दो बनाम म. प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 16-06-2011 को अदम पैरवी में खारिज हो गयी, जिससे व्यथित होकर यह रिवीजनकर्ता द्वारा आदेश 9 नियम 9 सहपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अंतर्गत पुनः सुनवाई हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जो कि दिनांक 21-4-2014 को खारिज हो गयी, दिनांक 21-4-2014 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है, दिनांक 21-4-2014 के आदेश की सत्यप्रतिलिपि माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है, जो एनेक्जर आर.-1 है।

2. यह कि, आदेश दिनांक 21-4-2014 में पारित आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षणकर्ता यह प्रथम रिवीजन आवेदन प्रस्तुत कर रहा है, तथा अन्य किसी भी न्यायालय में इस आदेश के विरूद्ध विचाराधीन नहीं है।

// प्रकरण के तथ्य //

1. यह कि, हल्का पटवारी बुढ़ार क्रमांक-101 जनरल नंबर 739 तहसील सोहागपुर जिला-शहडोल म.प्र. के न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार उप-तहसील बुढ़ार के द्वारा

vXXXa BR H-11

राजस्व् मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अजयकांत लोधी एवं अन्य /शासन

प्रकरण कमांक निग0 2766–दो/14 **जिला –शहडोल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21/4/16	आवेदक द्वारा यह निगरानी आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल जिला शहडोल के प्रकरण कमांक 822/अपील/2008–09 आदेश दिनांक 16–6–2011 से असंतुष्ट होकर इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता द्वारा आयुक्त, शहडोल के समक्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में किये गये आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी । जिसे दिनांक 16–6–2011 को अदमपैरवी में आवेदकगण एवं अभिभाषक की अनुपस्थिति का उल्लेख करते हुए अदमपैरवी में खारिज कर दिया । प्रकरण समाप्त होने की जानकारी आवेदकों को नहीं हुई । अदमपैरवी में प्रकरण खारिज होने के पश्चात प्रकरण को पुनः सुनवाई पर लेने के लिये अपर आयुक्त के समक्ष पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । जिसमें दिनांक 11–6–2013 निश्चित की गई थी, परन्तु अभिभाषक द्वारा अपनी डायरी में त्रुटि के कारण दिनांक 22–6–2013 पेशी नोट कर ली, जिससे आवेदक दिनांक 11–6–2013 को न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका । इसलिये उसका आवेदन पुनः निरस्त कर दिया गया । दिनांक 11–6–2013 को पुनः स्थापन आवेदन निरस्त होने के पश्चात आवेदक द्वारा पुनः प्रकरण में सुनवाई हेतु आयुक्त, शहडोल को	

व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश (9) नियम 9 सहपठित धारा 151 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 21–4–2014 को यह मानते हुए की अदमपैरवी में खारिज पुनः स्थापन प्रकरण में फिर से पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता । जहां उप धारा–3 के अधीन प्रस्तुत किया गया आवेदन नामंजूर कर दिया जाता है। वहां व्यथित पक्षकार उस प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सुनेगा जिसको ऐसे अधिकारी द्वारा पारित किये गये मूल आदेश के विरूद्ध अपील होती है । अतः आवेदक का पुनः स्थापन आवेदन अमान्य कर दिया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 21–4–2014 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । यह स्पष्ट है कि आवेदक अधीनस्थ न्यायालय में निर्धारित तिथी को उपस्थित न होने के कारण अदमपैरवी में प्रकरण खारिज हुआ एवं पुनः स्थापन आवेदन हेतु निर्धारित तिथी को भी अनुपस्थित रहा । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में निकाला गया निष्कर्ष उचित है । ऐसा प्रकट होता है कि आवेदक के अभिभाषक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रचलित प्रकरण को गंभीरता से नहीं लिया गया, फिर भी अभिभाषक द्वारा की गई त्रुटि की सजा आवेदक को नहीं मिलना चाहिए ।अतः निगरानी स्वीकार करते हुए इस निर्देश के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रकरण के पुनः स्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाए तो एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए विधि अनुसार कार्यवाही की जाए ।

सदस्य